सामाजिक लेखा-परीक्षा

सामाजिक लेखा-परीक्षा से यह निर्धारित किया जाता है कि नालको (नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड) द्वारा किये जाने वाले कार्यों से वास्तव में लाभार्थियों को कितना फायदा हो रहा है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्थानीय प्रशासन को जहाँ तक मुमकिन हो सके, सहमति के साथ और संबंधित लोगों की जरूरतों की पूरी समझ के साथ इसे अंजाम दिया जाना चाहिए। यह एक प्रक्रिया है, न कि कोई घटना। इस तरह, सामाजिक लेखा-परीक्षा (सामाजिक मूल्यांकन) गवर्नेंस यानी अभिशासन को समझने, मापने, रिपोर्ट करने, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से उसकी दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार को समझने का एक जरिया है।

सामाजिक लेखा-परीक्षा एक प्रक्रिया है, जो ग्राम पंचायत के एक नागरिक को ग्राम पंचायत के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी लाभों और योजनाओं की सीमाओं का आंकलन करने और उसे दर्शाने के लिए सक्षम बनाता है। सामाजिक लेखा-परीक्षा योजना के असर के आंकलन के लिए गैर-वित्तीय उद्देश्यों को व्यवस्थित और नियमित रूप से अपने निष्पादन की निगरानी और उसके हितधारकों के विचारों के द्वारा मूल्यांकन करने का नजरिया मुहैया कराता है। सामाजिक लेखा-परीक्षा में हितधारकों की सहभागिता की जरूरत होती है। इसमें कर्मचारी, क्लाइंट्स, कार्यकर्ता, फंड मुहैया करानेवाले, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता और इस स्कीम के प्रति दिलचस्पी लेने वाले स्थानीय निवासी हो सकते हैं।

सामाजिक लेखा-परीक्षा का कार्यान्वयन

1. नागरिकों का सशक्तीकरण :

किसी गतिविधि के वास्तविक लाभार्थियों के शामिल रहने की दशा में सामाजिक लेखा-परीक्षा सर्वाधिक प्रभावी होता है। हालांकि, आम नागरिक इसमें केवल तभी ही शामिल हो सकते हैं, जब उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए समुचित प्राधिकार मुहैया कराया जाये। इस संबंध में संविधान का 73वाँ संशोधन सामाजिक लेखा-परीक्षा को अंजाम देने के लिए ग्राम सभा को अधिक शक्ति प्रदान करता है। यह केवल गाँवों में ही प्रासंगिक है। शहरों में, पब्लिक रिकॉर्ड्स की जाँच करने के लिए लोगों को सूचना के अधिकार एक्ट के इस्तेमाल का अधिकार मुहैया कराया गया है।

2. समुचित दस्तावेजीकरण :

योजना बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन तक सभी जरूरी चीजों का निश्चित रूप से समुचित तरीके से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ दस्तावेज जरूरी होने चाहिए, जो इस प्रकार हैं :

- अनुप्रयोग, निविदाएँ और प्रस्ताव

- वित्तीय विवरण, आय-व्यय विवरण।

- कामगारों के रजिस्टर

- निरीक्षण रिपोर्ट।

3. दस्तावेजों तक पहुँच :

यदि दस्तावेजों तक लोगों की आसान पहुंच कायम नहीं हो रही, तो इसे तैयार करने का कोई मतलब नहीं है। सूचना के हालिया युग में सभी दस्तावेजों को निश्चित रूप से ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए।

4. दंडात्मक कार्रवाई :

इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वूपर्ण उपाय (जिस बारे में अब तक कुछ नहीं किया गया है) हो सकता है। सामाजिक लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया में यदि कोई कार्य अनुकूलित रूप से नहीं पाया जाता है, तो दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। जब तक कानूनी सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक इस प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करनेवाले लोगों को इंसेंटिव भी नहीं देना चाहिए।

---------- चित्र ----------

सामाजिक लेखा-परीक्षा चक्र :

- संगठन के मूल्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करना

- परफॉरमेंस के सूचक की पहचान करना

- गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से आंकड़ों का संग्रहण

- आंतरिक और बाहरी आंकड़ों का मूल्यांकन

- सामाजिक लेखा-परीक्षा परिणाम का प्रकाशन

सामाजिक लेखा-परीक्षा में बाधाएं :

- लोगों का माइंडसेट यानी सोच। आजादी के 70 वर्ष बीतने के बावजूद यहाँ के नागरिक अब तक सरकार के इस धारणा को नहीं समझ सके हैं कि वह जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। अधिकांश जनता यही समझती है कि उन पर राजनेता शासन करते हैं, जबकि राजनेता यह समझते हैं वे ही शासक हैं। इस कारण से, विकास से जुड़ी गतिविधियों में आम आदमी खुद को भागीदार नहीं बना पाता है।

- सामाजिक लेखा-परीक्षा के सिद्धांतों का पालन न करने के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही का अभाव। सामाजिक लेखा-परीक्षा को लागू नहीं करने की दशा में जब तक संबंधित प्राधिकरणों को दंडित नहीं किया जायेगा, तब तक उन्हें काबू में करना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे उनकी रिश्वतखोरी और अधिकारों को कम किया जा सकता है।

- सामान्य जनता के बीच शिक्षा का अभाव।

- संबंधित योजनाओं पर काम करनेवालों का असामयिक स्थानांतरण भी कार्य को प्रभावित करता है। साथ ही उसकी समुचित जवाबदेही तय करने में भी कठिनाई होती है।

- कार्य संस्कृति में विविधता की समस्या।

- आम जनता की सहभागिता का अभाव।

- समयबद्ध बैठकों का नहीं होना।

- किसी तरह का अनुसरण नहीं होना यानी आगे की कार्रवाई की जाँच नहीं होना।

सामाजिक लेखा-परीक्षा के फायदे

- विकास से जुड़ी गतिविधियों में आम जनता की सहभागिता से यह सुनिश्चित किया जाता है कि रकम को वास्तविक जरूरतों के लिए ही खर्च किया जा रहा है।
- संसाधनों की बर्बादी में कमी आना।
- भ्रष्टाचार में कमी।
- लोगों में जागरुकता।
- आम जनता के बीच सामुदायिक एकता के भाव को प्रोत्साहन मिलता है।
- अभिशासन की गुणवत्ता में सुधार।
- सुविधाओं से वंचित लोगों को लाभ।
- मानव संसाधन और सामाजिक पूँजी का विकास।
- सामूहिक फैसले लेने और जिम्मेदारियों को आपस में साझा करने जैसे विचारों को प्रोत्साहन मिलता है।

---:---